राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 16)

[24 जुलाई, 2019]

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सतर्क वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ---

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

   (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (जिसे इसके इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) में,---

   (i) खंड (ख) में, अंत में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा ।

   (ii) खंड (ग) में, “व्यक्तियों को” शब्दों के पश्चात् “और” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ।
(iii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तर्गतित किया जाएगा, अथवा —

“(घ) ऐसे व्यक्तियों को, जो भारत के बाहर भरतीय नागरिकों के विस्थापन या भारत के हितों को प्रमाप्तित करने वाला कोई अनुसूचित अपराध करते हैं”।

धारा 6 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् “भारत” शब्द के पश्चात् “और किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या संबंधित राष्ट्र की देशीय विधि के अधीन रहने हुए भारत के बाहर” शब्द अन्तर्गतित किए जाएंगे।

धारा 6 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्तर्गतित की जाएंगी, अथवा —

“(घ) ऐसे केंद्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के बाहर किसी ऐसे राज्य पर जहाँ इस अधिनियम का विस्तार है, कोई अनुसूचित अपराध किया गया है, तो वह अधिकार को इस प्रकार मामला रजिस्टर करने और अवस्थापन प्रारंभ करने के लिए निदेश दे सकेंगे, मानो ऐसा अपराध भारत में किया गया हो।

(9) उपधारा (8) के प्रयोजनों के लिए नई दिल्ली में स्थित विशेष न्यायालय की अधिकारिता होगी।”

धारा 11 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(५) उपधारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अथवा —

“(क) केंद्रीय सरकार, राज्य में अधिसूचना द्वारा अनुसूचित अपराधों के विस्तार के लिए ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे मामलों या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, जो अधिसूचना में विनिमीत किए जाएं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूल्य के परराष्ट्र से एक या अधिक सेवन न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अनुपस्थित करेंगी;

(५) निम्नलिखित स्पष्टांकण अन्तर्गतित किया जाएगा, अथवा —

स्पष्टांकण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “उच्च न्यायालय” पद से उस राज्य का, जिसमें विशेष न्यायालय के रूप में अनुपस्थित किया जाने वाला, कोई सेवन न्यायालय कार्य कर रहा है, उच्च न्यायालय अम्लप्रेत है।

(८) उपधारा (३), उपधारा (४), उपधारा (५), उपधारा (६) और उपधारा (७) का लोप किया जाएगा।
(iv) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी,
अर्थात् :—

“(8) शंकाओं को दूर करने के लिए यह उपबंध किया जाता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट सेशन न्यायालय के सेशन न्यायाधीश द्वारा उस सेवा में, जिससे वह संबंधित है, उसे लागू होने वाले नियमों के अधीन अधिविधी तक तकनी नाम उसके विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बने रहने को प्रभावित नहीं करेगा और केंद्रीय सरकार के परामर्श से नियुक्ति प्राप्तकारी आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख तक या उसके समाप्त मामले या मामलों का, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विचारण पूरा होने तक न्यायाधीश बना रहेगा।”;

(v) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी,
अर्थात् :—

“(9) जब किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय अधिकृत किए जाते हैं तो उनमें एकमात्र का वितरण ज्येष्ठतम्न
न्यायाधीश करेगा।”

7. मूत्र अधिनियम की धारा 22 में,—

(i) पालव शर्यां में, “विशेष न्यायालयों का गठन करने” शब्दों के स्थान पर, “सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अभिमित करने” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) में, “एक या अधिक विशेष न्यायालयों का गठन” शब्दों के स्थान पर, “एक या अधिक सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अभिमित” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) में “गठित” शब्द के स्थान पर, जहाँ-जहाँ वह आता है, “अभिमित” शब्द रखा जाएगा।

8. मूत्र अधिनियम की अनुसूची में,—

(i) क्रम संः 1 और उससे संबंधित विविधति के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संः और विविधतियों रखी जाएगी, अर्थात् :—

“1. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) ;
1क. परमाणु ऊज्ज अधिनियम, 1962 (1962 का 33)।”;

(ii) क्रम संः 3 में, “1982 (1982 का 65)” अंकों, कोष्ठकों और शब्द के स्थान पर, “2016 (2016 का 30)” अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;

(iii) क्रम संः 8 में, “प्रविधित (क्ष)” के स्थान पर निम्नलिखित प्रविधियों रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(क) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 16 की धारा 370 और धारा 370क।;

(ग) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 489क से धारा 489ख, (जिसमें ये दोनों धाराएं सम्बन्धित हैं)।;
राष्ट्रपति ने दि नेशनल इन्जिनियरिंग एजेंसी (अमेंडमेंट) एक्ट, 2019 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the National Investigation Agency (Amendment) Act, 2019 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.